

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 129/2024

उनवानी :- रघुवीर व अन्य बनाम अजय व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
06.05.2026	पत्रावली पेश हुई। सायलान अधिवक्ता उपस्थित आये। सायलान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मुकदमा को विद्द्रो कर मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 129/2024 उनवानी रघुवीर व अन्य बनाम अजय व अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 24.07.2024 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्द्रो किये जाते हैं। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

मि



रघुवीर

राजसुनी

मि

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली